मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–6666171
फोन नं0–0522–2308502

ई मेल–lkomdm@gmail.com
Website : www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0/C-4646 /2017–18   दिनाँक : 08 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत राजकीय एवं परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एल0पी0जी0 कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1635/79–6–2017 दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न कर प्रेषित है। उक्त शासनादेश के माध्यम से **42442** विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय प्रति कनेक्शन व चूल्हा रू0–**4204.00** की दर से रू0 **1784.26** लाख (रूपये सत्रह करोड़ चौरासी लाख छब्बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में अनुरोध है कि शासनादेश में उल्लिखित समस्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाय। उक्त के अतिरिक्त निम्न निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन कराया जायः–

1– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में माह जनवरी, 2018 के अन्त तक कर लिया जाय तथा संबंधित उपभोग प्रमाण पत्र माह फरवरी, 2018 तक प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाय।

2– यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिन विद्यालयों में एल0पी0जी0 सिलेण्डर/गैस चूल्हा (गैस भट्टी) चोरी हो चुके है, उन विद्यालयों हेतु उक्त धनराशि से एल0पी0जी0 कनेक्शन क्रय नहीं किया जाय। इस संबध में संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी से **यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा कि उक्त धनराशि का प्रयोग ऐसे विद्यालयों हेतु नहीं किया गया है, जिनमें पूर्व से एल0पी0जी0 कनेक्शन था, परन्तु चोरी हो चुका है।** जनपद द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करते समय उक्त तथ्य का उल्लेख भी किया जाय।

3– जिन विद्यालयों में एल0पी0जी0 सिलेण्डर/गैस चूल्हा (गैस भट्‌टी) चोरी हो चुके है, उन विद्यालयों में आवश्यक कार्यवाही करते हुए संबंधित से रिकवरी करायी जाय, जिससे की रिकवर की गयी धनराशि से उन विद्यालयों में पुनः एल0पी0जी0 सिलेण्डर/गैस चूल्हा (गैस भट्‌टी) उपलब्ध कराये जा सकें। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी विद्यालय एल0पी0जी0 कनेक्शन विहीन न हो। साथ ही उक्त हेतु दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही भी की जाय।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग।

(अब्दुल समद)
निदेशक

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–6666171
फोन नं0–0522–2308502

ई मेल–lkomdm@gmail.com
Website : www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0 / C-4646 / 2017–18 दिनाँक : 08 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत राजकीय एवं परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एल0पी0जी0 कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1635 / 79–6–2017 दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न कर प्रेषित है। उक्त शासनादेश के माध्यम से **42442** विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय प्रति कनेक्शन व चूल्हा रू0–**4204.00** की दर से रू0 **1784.26** लाख (रूपये सत्रह करोड़ चौरासी लाख छब्बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में अनुरोध है कि शासनादेश में उल्लिखित समस्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाय। उक्त के अतिरिक्त निम्न निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन कराया जायः–

1– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में माह जनवरी, 2018 के अन्त तक कर लिया जाय तथा संबंधित उपभोग प्रमाण पत्र माह फरवरी, 2018 तक प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाय।

2– यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिन विद्यालयों में एल0पी0जी0 सिलेण्डर / गैस चूल्हा (गैस भट्टी) चोरी हो चुके है, उन विद्यालयों हेतु उक्त धनराशि से एल0पी0जी0 कनेक्शन क्रय नहीं किया जाय। इस संबंध में संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी से **यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा कि उक्त धनराशि का प्रयोग ऐसे विद्यालयों हेतु नहीं किया गया है, जिनमें पूर्व से एल0पी0जी0 कनेक्शन था, परन्तु चोरी हो चुका है।** जनपद द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करते समय उक्त तथ्य का उल्लेख भी किया जाय।

3— जिन विद्यालयों में एल0पी0जी0 सिलेण्डर/गैस चूल्हा (गैस भट्टी) चोरी हो चुके है, उन विद्यालयों में आवश्यक कार्यवाही करते हुए संबंधित से रिकवरी करायी जाय, जिससे की रिकवर की गयी धनराशि से उन विद्यालयों में पुनः एल0पी0जी0 सिलेण्डर/गैस चूल्हा (गैस भट्टी) उपलब्ध कराये जा सकें। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी विद्यालय एल0पी0जी0 कनेक्शन विहीन न हो। साथ ही उक्त हेतु दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही भी की जाय।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग।

(अब्दुल समद)
निदेशक